

अपर/अधी. (नगर निर्माण)

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 2136/36-3-10-105 श्र0ब0/2010

लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर 2010
कार्यालय झाप

17
24/09/10

प्रदेश के श्रमिकों के हित संवर्धन तथा राज्य के औद्योगिकीकरण को गतिशीलता प्रदान करने, श्रमिकों और नियोजकों के मध्य मधुर औद्योगिक संबंध को स्थायित्व प्रदान करने तथा श्रम अधिनियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "श्रम बन्धु" का गठन श्रम विभाग के कार्यालय झाप संख्या यू0ओ0-153/36-3-2001-105 -श्र0ब0/2000 दिनांक 27.06.2001 द्वारा किया गया था और तत्परचात् शासकीय झाप संख्या 2604/36-3-2004-105-श्र0ब0/2003 दिनांक 27.09.2004 द्वारा "श्रम बन्धु" का गठन मण्डल स्तर पर गठित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था।

D.L.C. (B.C. Board)

तत्कम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों एवं कार्यकलापों के अतिरिक्त मण्डल स्तर पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा तत्संबंधी प्रदेश नियमावली 2009 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस अधिनियम, 1996 एवं असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जिलों में अधिष्ठानों के पंजीयन, सेस की धनराशि की नियमानुसार प्रभावी वसूली संबंधी कार्यवाही तथा निर्माण श्रमिकों के बोर्ड के लाभार्थी स्वरूप पंजीयन तथा लाभार्थी श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं के जिला स्तर पर कियान्वयन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित करेंगे। अतः श्री राज्यपाल महोदय " मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु" के निम्नवत् पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

21-09-2010

632

E.S.D

Ch. Ralohar

01	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
02	संयुक्त विकास आयुक्त	सदस्य
03	अपर/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
04	मण्डल के समस्त जिलाधिकारी	सदस्य
05	क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त	सदस्य/संयोजक सचिव
06	सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल निगम एवं जल संस्थान के मण्डल स्तरीय/वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य
07	नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त	सदस्य
08	नगरपालिका परिषद के प्रगरी अधिकारी	सदस्य
09	उपनिदेशक, पंचायती राज	सदस्य
10	मण्डल स्तर पर पंजीकृत श्रमिक संघों के तीन प्रतिनिधि, जिसमें असंगठित क्षेत्र/निर्माण श्रमिकों से संबंधित ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11	मण्डल स्तर पर उद्योग संगठनों के तीन प्रतिनिधि, जिनमें से एक प्रतिनिधि निजी निर्माण निर्माता संगठन से संबंधित हो।	सदस्य

अधी. (नगर निर्माण)

23/09/10

23/09/10

36
23/09/10

12	प्रमुख गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (मण्डलायुक्त द्वारा नामित), जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों से जुड़े हों, इनमें से एक प्रतिनिधि महिला होगी।	सदस्य
13	स्नातक/परास्नातक कालेज/विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र/समाज शास्त्र विभाग के प्रवक्ता स्तर के एक प्रतिनिधि	सदस्य
14	संयुक्त/अपर निदेशक प्रशिक्षण	सदस्य
15	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
16	संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
17	संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
18	संयुक्त/अपर निदेशक, उद्योग	सदस्य

समिति के कार्य

(1) (क) मण्डल के समस्त जिला श्रम बन्धुओं के कार्यों का पुनरीक्षण करना तथा सम्बन्धित विचार करके उनका समन्वय तथा दिग्दर्शन करना। विशेष रूप से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा तत्संबंधी प्रदेश नियमावली 2009 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार सेस अधिनियम, 1996 एवं असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जनपद स्तर पर की जा रही कार्यवाही एवं प्रगति की समीक्षा, अनुश्रवण, मागदर्शन एवं उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण।

(ख) मण्डल के श्रमिकों को विभिन्न सुविधाएं दिये जाने एवं उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु, जिनकी मण्डल स्तरीय अधिकारियों के द्वारा ही संभव हो, के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के उपरान्त यथासंभव बैठक में ही निराकरण करना।

(ग) विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं एवं श्रमिक संस्थाओं के बीच अन्तः समन्वय स्थापित करना।

(घ) मण्डल के श्रमिकों की समस्याओं/सुविधाओं के निराकरण की प्रगति समीक्षा करना तथा शासन को उनकी समस्याओं से अवगत करना। निर्माण/असंगठित श्रमिकों का पंजीयन, उनके हितजाम की समीक्षा तथा नियमानुसार सेस की धनराशि की बसूली संबंधी कार्यवाही।

(2) समिति की बैठकें प्रत्येक त्रैमास्य में एक बार आयोजित की जायेगी।

(3) समिति की बैठक की सूचना संबंधित श्रमिक संघों की इकाइयों/औद्योगिक इकाइयों को पहले से भेज दी जाए, जिससे कि उद्यमी/श्रमिक प्रतिनिधि स्वयं बैठक की चर्चा में भाग ले सकें। बैठक हेतु एजेण्डा तैयार करने हेतु पहले ही श्रमिकों से उनकी समस्याओं का विवरण प्राप्त कर लिया जायेगा। इस तरह प्राप्त किया गया एजेण्डा सभी स्थानीय विभागीय सदस्यों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दिया जायेगा। यह आवश्यक है कि क्योंकि विभाग संबंधित समस्या पर पूर्व से स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि बैठक के समय से ही निर्णय लिया जा सके।

(4) जिला स्तरीय श्रम बन्धु में जो प्रकरणनिर्णीत नहीं हो सकेंगे, उन्हें मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु को संदर्भित किया जायेगा। इसी प्रकार जो मण्डल स्तरीय निर्णीत नहीं हो सकेंगे, उन्हें राज्य स्तरीय श्रम बन्धु को निस्तारणार्थ संदर्भित किया जायेगा। मण्डल स्तर पर गठित श्रम बन्धु समितियां राज्य स्तर पर गठित श्रम बन्धु के अधीन होंगी।

(5) समिति की बैठक की सूचना प्रमुख सचिव, श्रम/श्रम आयुक्त, कानपुर को भेजी जायेगी।

समिति की बैठक का कार्य एवं बैठक में लिये गये निर्णयों को अनुपालन में कल कार्यवाही की सूचना विद्यमान रूप से श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर एवं अधिशासी निदेशक, श्रम वस्तु, व्यवसायिक परीक्षा परिषद लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(6) जिला श्रम वस्तु की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त एवं स्थानीय स्तर पर सभी संभव प्रयास करने के उपरान्त ऐसे मामलों को रोकते हैं, जिन पर निर्णय जिला स्तर पर संभव नहीं हो पाया है। इनमें ऐसे मामलों, जिनका निर्णय मण्डल स्तर पर हो सकता है, को पूर्ण विवरण सहित उप/अपर श्रम आयुक्त/मण्डलीय श्रम वस्तु को समिति की बैठक में निर्णय हेतु भेज दिया जायेगा। इसी प्रकार से ऐसे मामलों, जिन पर निर्णय राज्य स्तर पर हो सकता है, को पूर्ण विवरण सहित अधिशासी निदेशक, श्रम वस्तु, व्यवसायिक परीक्षा परिषद, अलीगंज, लखनऊ को राज्य स्तरीय श्रम वस्तु के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया जायेगा।

(7) उक्त श्रम वस्तु की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोई यात्रा भत्ता/पेटिगार्ड भत्ता/अन्य भत्ते तथा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सुविधाएँ अनुमन्य नहीं होंगी।

डॉ० आर०सी० श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव, श्रम,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- २१३६ (१)/३०-३-१० तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 2- उ०प्र० शासन के समस्त सचिव।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त)
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त)
- 5- समिति के समस्त सदस्यगण। (द्वारा श्रमायुक्त)
- 6- श्रम विभाग के उपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त। (द्वारा श्रमायुक्त)
- 7- श्रम विभाग के अधीनस्थ अधिकारी / समस्त अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रुद्र कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव।

कार्यालय उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म० कै० बोर्ड/श्रमायुक्त, उ०प्र०,
जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं० : 1081115/40/नो-बोर्ड-10

दिनांक : ३० सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपर/उप श्रमायुक्तों को उक्त कार्यालयज्ञाप की 20 प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त एवं समिति के समस्त सदस्यगण को अपने स्तर से हस्तगत कराने का कष्ट करें।

(राकेश द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी,
उ०प्र०का एवंअन्यस०का०बोर्ड,
जी०टी०रोड,कानपुर।